तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
11.07.2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री जे.के. पारीक, अभिभाषक प्रार्थीगण। अभिभाषक अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनु0। **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी, सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–10–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी, सांभरलेक के समक्ष प्रस्तुत किया। दौराने वाद प्रार्थीगण ने अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 व धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में की गई इकतरफा कार्यवाहीं को निरस्त करने का निवेदन किया। न्यायालय उपखंड अधिकारी, सांभरलेक ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 25–10–2005 द्वारा खारिज किये जाने से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण को निगरानी पर सुना गया। 4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित कर दिये थे तथा प्रार्थीगण ने यह भी अंकित किया था कि 27.01.2005 की तारीख पेशी कि सूचना की तामील प्रार्थीगण को नही हुई थी, इसलिए प्रार्थीगण 27.01.2005 को तारीख पेशी पर हाजिर नही हो सकें। इसके उपरान्त भी	

आधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी कानूनी एवंम सैद्धान्तिक भूल कि है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार पर एवं बिना किसी कारण के प्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान करके अप्रार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर एवं अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रार्थीगण को पाबन्द करके भारी कानूनी एवं सैद्धान्तिक भूल कि है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने जानकारी बाबत् समुचित एवंम पर्याप्त कारण अकित कर दिये थे। तथा यह अंकित किया था कि 23.07.2005 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को कहा कि उनके पक्ष में निर्णय हो चुका है। तो प्रार्थीगण 24.07. 2005 को अवकाश होने एवंम 25.07.2005 को जानकारी प्राप्त की जिसके पश्चात प्रार्थीगण ने 27.07.2005 को अधीनस्थ न्यायालय में एकतरफा कार्यवाही निरस्ती का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो कि जानकारी से अन्दर मियाद था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधानों की और ध्यान नही दिया कि प्रार्थीगण पर कोई भी नोटीस तामील नही हुआ था और नही प्रार्थीगण को जानकारी थी। इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर आदेश अन्तर्गत निगरानी पारित किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में उन्होनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी निरस्त करने का यह कारण अपने निर्णय में अंकित किया है कि प्रार्थीगण को विधिवत् रजिस्टर्ड सम्मन से तामील करवाई गई थी। प्राप्ति रसीद एडी शामिल पत्रावली है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 6 माह पश्चात् पेश किया गया है। प्रकरण शहादत वादी पूर्ण होकर अंतिम बहस में चल रहा है।

7. पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण को न्यायिक प्रकिया का ज्ञान नहीं होने के कारण समय पर न्यायालय में उपस्थित

नहीं हो सके। ऐसी स्थिति में न्यायालय को नरम रूख अपनाना आवश्यक है। वैसे भी प्रकरण में आक्षेपित आदेश के निरस्त किये जाने से किसी प्रकार का अन्यथा प्रभाव नहीं पडता है, अपितु प्रकरण में उभयपक्षों की सुनवाई से प्रकरण की विषयवस्तु एवं वास्तविक स्थिति न्यायालय के सामने और अधिक स्पष्ट होगी।

8 उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कर परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–10–2005 अपास्त किया जाता है तथा प्रार्थीगण के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त किया जाता है।

9 परिणामतः हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नंबर से कम की जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)

सदस्य